

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री सुशील कुमार सिंह



हेड कांस्टेबल अशोक प्रताप सिंह

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप यू०पी० गैंग० एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा ०४ वर्ष कठोर कारावास तथा ५००० रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक ३०.११.२०२१ की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में नकबजनी व चोरी जैसी घटनाएं कारित करने पर मु०अ०सं० ४३८/२१ धारा २/३ यू०पी० गैंग० एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक १४.११.२०२५ को माननीय न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को ०४ वर्ष कठोर कारावास तथा ५,००० रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को ०४ वर्ष कठोर कारावास।
- ☐ अभियुक्त को ५,०००/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर १० दिवस अतिरिक्त कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

१. लवकुश पुत्र रामस्वरूप नि० खेरौना थाना व जनपद अमेठी।